

# तीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय

मादनागर, पलामू - 22101

## अधिसचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक - DHEsec-5/AFFIL GEN COL-22/2020/HTESD-986, दिनांक 16.09.2020 के आलोक में झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) की धारा 4(19) के तहत एवं अधिषद (Senate) के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नलिखित महाविद्यालयों को द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 एवं 2022-24 के लिए वित्तीय भार राहत सशर्त अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की रवीकृति प्रदान की गयी है-

क्र0सं0	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र
1.	ज्योति प्रकाश महिला बी0एड0 कॉलेज, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
2.	हॉलेट पब्लिक बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
3.	पंडित जगनारायण त्रिपाठी बी0एड0 कॉलेज, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
4.	सिद्धनाथ बी0एड0 कॉलेज, सण्डा, जपला, पलामू	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
5.	एस0बी0 पाण्डेय सनातन TTC, रेहला, पलामू	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
6.	आर0के0वी0एस0 संस्थान, सोनपुरवा, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
7.	इन्दिरा सिंह बी0एड0 TTC, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
8.	दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरटिया, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
9.	गोपीनाथ सिंह बी0एड0 कॉलेज, लातदाग, मेराल, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
10.	कुमारेश इन्टरनेशनल बी0एड0 कॉलेज, रजवाडीह, पलामू	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
11.	जी0एल0ए0 बी0एड0 कॉलेज, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24



शर्तें

1. विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कभी भी औचित्य निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अ-पाठे जाने या पत्राचार/वीडियो/संघर्ष/विषय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संकलना समाप्त करने की दिश्यायुक्त कार्यवाही की जाएगी।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन रू-के अन्तर् में किया जाएगा।
3. महाविद्यालय पूर्ण क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भुवनेश्वर द्वारा लगाये गए शर्तों का सुनिश्चित करना।
4. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिश्रम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित
5. महाविद्यालय को दो वर्ष के अन्दर NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।

कुलपति के आदेशानुसार

ह/-

कुलसचिव

नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदि

Date - 29/11

Memo No. - NPU/R/... 606.../2022

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँच।
2. परीक्षा नियंत्रक, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
3. जन सूचना पदाधिकारी, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
4. नॉडल पदाधिकारी, AISHE, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर।
5. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी संबंधित बी0एड0 महाविद्यालय।
6. कुलपति/प्रति कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को संबंधित पदाधिकारी के सूचनार्थ प्रेषित।

Anuprash

29/11  
कुलसचिव  
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्  
मेदिनीनगर, पलामू  
राजम 30  
29/11